कार्यालय मुख्य अभियंता (जेजेएम) जन स्वा. अभि. विभाग,
2 सिविल लाईन "जलभवन" जयपुर–302006

क्रमांकः–मु.अ.(जेजेएम) / स्थापन / 2026–27 / 281-300

दिनांकः– 03/06/2026

अतिरिक्त मुख्य अभियंता(समस्त)
जन स्वा. अभि. विभाग
जयपुर

विषय : जल जीवन मिशन **(JJM)** के कार्यों में **GCC (PWF&AR)** के क्लॉज–2 के अंतर्गत कटौती की गई **Liquidated Damages (LD)** राशि के 70 प्रतिशत राशि का प्रतिदाय **(Refund)** अस्थायी उपाय के रुप में एकबारीय **(one time)** जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ वित्त विभाग का आई. डी. क्रमांक 262600053 दिनांक 29.05.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत निष्पादित कार्यों में संवेदको द्वारा विलम्ब के कारण GCC (PWF&AR) के क्लॉज–2 के अंतर्गत संवेदकों से Liquidated Damages (LD) की कटौती की गई थी जो वर्तमान में विभाग के पास Security Deposit V में जमा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत केन्द्रांश के रुप में राशि प्राप्ति में विलम्ब होने एवं SNA से SNA SPARSH Onboarding प्रक्रियाधीन होने के कारण बजट आंवटन में देरी होने से संवेदको द्वारा तरलता (Liquidity) सम्बन्धी समस्याओं के कारण परियोजनाओं की भौतिक प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वित्त विभाग के आई.डी क्रमांक 262600053 दिनांक 29.05.2026 द्वारा **GCC (PWF&AR)** क्लॉज–2 के अंतर्गत कटौती की गई **Liquidated Damages (LD)** राशि के 70 प्रतिशत राशि का प्रतिदाय **(Refund)** अस्थायी उपाय के रुप में एकबारीय **(one time)** जारी किये जाने बाबत स्वीकृति प्रदान की गई है, बशर्ते कि उक्त राशि की वसूली संबंधित संवेदक के खण्डीय कार्यालय में उपलब्ध TPIA Certified Passed Running Bills से सुनिश्चित की जाए। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित खण्डीय कार्यालय से निम्नानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. **GCC (PWF&AR)** क्लॉज–2 के अंतर्गत कटौती की गई **Liquidated Damages (LD)** राशि के 70 प्रतिशत राशि का प्रतिदाय **(Refund)** अस्थायी उपाय के रुप में एकबारीय **(one time)** जारी किया जाना है एवं उक्त राशि का मिलान Security Deposit V में जमा राशि से किया जाना सुनिश्चित करें।
2. GCC (PWF&AR) के क्लॉज–2 के अंतर्गत काटी गई (LD) राशि के विवरण हेतु संवेदक वार अभिलेख तैयार किये जाए।
3. संवेदक Liquidated Damages (LD) के प्रतिदाय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करे एवं Liquidated Damages (LD) की राशि को अस्थायी व्यवस्था के रूप में जारी किए जाने से पूर्व संबंधित संवेदक से रु. 500/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर नोटरीकृत शपथ–पत्र प्राप्त

03/6/26

किया जाए, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि क्लॉज–2 के अंतर्गत काटी गई Liquidated Damages (LD) राशि में से 70 प्रतिशत राशि अस्थायी उपाय के रूप में एकबारगी (One Time) प्रतिदाय (Refund) के रूप में जारी की जा रही उक्त LD राशि की वसूली संबंधित खण्डीय कार्यालय में उपलब्ध **TPIA Certified Passed Running Bills** से किए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा वह इस संबंध में किसी प्रकार का दावा, विवाद अथवा वाद प्रस्तुत नहीं करेगा।

4. केवल उन्हीं प्रकरणों में Liquidated Damages (LD) राशि को अस्थायी उपाय के रूप में जारी किया जाये जिनमें संबंधित संवेदक के खण्डीय कार्यालय में **TPIA Certified Passed Running Bills** वर्तमान में उपलब्ध हों।

5. अस्थायी उपाय के रूप में जारी की जाने वाली Liquidated Damages (LD) राशि, वर्तमान में खण्डीय कार्यालय में उपलब्ध **TPIA Certified Passed Running Bills** में से सभी प्रकार की वैधानिक कटौतियाँ (GST, income tax, Performance security इत्यादि) किए जाने के उपरांत शेष बची राशि तथा क्लॉज–2 के अंतर्गत काटी गई Liquidated Damages (LD) राशि के 70 प्रतिशत भाग, जिसे अस्थायी उपाय के रूप में एकबारगी (One Time) प्रतिदाय (Refund) के रूप में जारी किया जाना प्रस्तावित है, दोनों में से जो राशि कम हो, केवल उतनी ही राशि जारी की जाए।

6. अस्थायी उपाय के रूप में जारी की जाने Liquidated Damages (LD) राशि की समस्त वसूली संबंधित संवेदक के वर्तमान में खण्डीय कार्यालय में उपलब्ध **TPIA Certified Passed Running Bills** में से ही की जानी है। इस सम्बन्ध में संबंधित संवेदक के वर्तमान में खण्डीय कार्यालय में उपलब्ध **TPIA Certified Passed Running Bills** के भुगतान आदेश में अस्थायी उपाय के रूप में जारी की जाने वाली Liquidated Damages (LD) राशि के समायोजन की प्रविष्टि अनिवार्य रुप से दर्ज हो तथा आगामी प्रथम बजट आंवटन में से उक्त राशि की वसूली कर Security Deposit V में जमा भी कराया जाना सुनिश्चित करें।

7. ऐसी परियोजनाऐं जिनमें संवेदक एवं विभाग के मध्य विवाद का प्रकरण लम्बित हो/न्यायालय में वाद विचाराधीन हो/कार्यादेश रिसाईण्ड **(Rescind)** हेतु प्रक्रियाधीन हो इत्यादि स्थिति में संवेदको को किसी प्रकार की अस्थायी उपाय के रूप में Liquidated Damages (LD) **राशि जारी नहीं की जाये।**

8. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में राज्य हित प्रभावित न हो तथा जारी की जाने वाली राशि की वसूली शत–प्रतिशत **TPIA Certified Passed Running Bills** से की जाए।

भवानीसिंह 03/06/2026

9. इस संबंध में की गई कार्यवाही के अभिलेख संधारित किये जाए तथा आवश्यकता होने पर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न : संदर्भित आदेश/सहमति की प्रति

मुख्य अभियंता (वि.परि.) जन स्वा.अभि.विभाग जयपुर	03/06/2026 मुख्य अभियंता (जेजेएम) जन स्वा.अभि.विभाग जयपुर	वित्तीय सलाहकार (जेजेएम) जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ :– 301-520 दिनांक:- 03/06/2026

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री,महोदय जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा.अभि. विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, जन स्वा.अभि. विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, परियोजना जन स्वा.अभि. विभाग, उदयपुर/जोधपुर/जायका जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) जन स्वा.अभि. विभाग, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता (समस्त) जन स्वा.अभि. विभाग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. रक्षित पत्रावली।

03/06/2026

डायरी संख्या

टिप्पणी (क्रमिक)

रा.सं. 2

विभागीय प्रस्ताव पैरा 1–7/एन के क्रम में लेख है कि चूंकि जल जीवन मिशन आम जनता से जुडी एक महत्वपूर्ण योजना है तथा इसके अन्तर्गत निहित कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने वांछित हैं। अतः विभागीय प्रस्ताव के अनुसार ठेकेदारों द्वारा महसूस की जा रही नकदी की गंभीर कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी उपाय के रूप में एकबारीय (one time) रूप से पूर्व में आरोपित liquidated damages की 70 प्रतिशत राशि का प्रतिदाय (refund) किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि विभाग के पास वर्तमान में उपलब्ध TPIA प्रमाणित चालू बिलों से उक्त राशि की वसूली की जावेगी तथा प्रतिदाय की जाने वाली Liquidated Damages राशि संबंधित ठेकेदार के TPIA प्रमाणित बकाया बिलों से अधिक नहीं होगी।

उक्त टिप्पणी वित्त विभाग में आईडी संख्या 262600053 द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(महेन्द्र मोहन)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

262600053
29.5.26

प्रमुख शासन सचिव,
जन स्वा. अभि. विभाग